The Uttar Pradesh Nagar Yojna or Vikas (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978

Act 14 of 1978

Keyword(s):
High Court, Judge, Abolition of Letters Patent Appeals in Certain other Cases, Jurisdiction

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1978*

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1978)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 10 अप्रैल, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 अप्रैल, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।]

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 26 अप्रैल, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खंड (क) में दिनांक 27 अप्रैल, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।)

PRICE 15 PAIS

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

---

*उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 20 मार्च, 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3—खण्ड (क) देखिये।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा यथा पुन: अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 की धारा 59 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 59 में, उपधारा (14) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1979" रख दिये जायेंगे।

निरसन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 2, 1977

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम 30 दिसम्बर, 1977 को प्रवृत्त हो गया था।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 259 सा0 (विधा0)—6-10-78—(2295)—1978—1834+50 S.S. (मेक0)